UPSI120001312002

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी-(सुभाष)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03785

दीवानी वाद संख्या-107/2002

विशम्भर दयाल आदि बनाम मुरलीधर आदि।

दिनाँक 03.07.2023 **निस्तारण प्रार्थना पत्र 229 क [1]**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 229 क [1], अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता व आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी संख्या 2 की दिनाँक 29.04.2021 को व वादी संख्या 3 की दिनाँक 11.06.2022 को मृत्यु हो गयी है, इसलिए वाद पत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः वादपत्र में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गयी है।

1- यह कि वाद पत्र के उनवान मुकदमा में वादी संख्या 2 के आगे दौरान मुकदमा मृतक एवं वादी संख्या 3 के आगे दौरान मुकदमा मृतक लिखने की अनुमति प्रदान की जावे।

2- यह की वाद पत्र के उनवान में वादी संख्या 2 के वारिसान निम्न प्रकार लिखने की अनुमति प्रदान की जावे।

2/1- विवेक विशाल, उम्र 28 वर्ष, पुत्र चन्द्रभाल।

2/2- सिद्धार्थ, उम्र 20 वर्ष, पुत्र चन्द्रभाल।

2/3- श्रीमती कौशल्य देवी, उम्र 65 वर्ष, पत्नी चन्द्रभाल, निवासीगण ग्राम रमनगरा, मजरा न्योराजपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर।

3- यह कि वाद पत्रके उनवान में वादी संख्या 3 के वारिसान निम्न प्रकार लिखने की अनुमति प्रादन की जावे।

3/1- विकाश कुमार, उम्र 20 वर्ष, पुत्र मिथिलेश कुमार।

3/2- श्रीमती अर्चना देवी, उम्र 55 वर्ष, पत्नी मिथिलेश कुमार। निवासीगण ग्राम रमनरा, मजरा न्योराजपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि विरोध है। प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी संख्या 2 की मृत्यु दिनाँक 29.04.2021 को व वादी संख्या 3 की मृत्यु दिनाँक 11.06.2022 को हो गयी है परन्तु वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनाँक 05.11.2022 को प्रस्तुत किया गया है जो कि विलम्ब से है। वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 229 क [1], अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता व आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनाँक 11.08.2023 को पेश हो।

दिनाँक 03.07.2023 **(सुभाष)**

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ-सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2023.07.03 15:59:23 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan